

# DISTRICT QUALITY ASSURANCE COMMITTEE






आज दिनांक 26/09/2019 को सिविल सर्जन कार्यालय पलवल में डा० प्रदीप शर्मा, सिविल सर्जन, पलवल की अध्यक्षता में DISTRICT QUALITY ASSURANCE COMMITTEE (FAMILY PLANNING) की मिटिंग का आयोजन किया गया। मिटिंग का संचालन डा० प्रदीप शर्मा, सिविल सर्जन, पलवल द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए किया गया। जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/पदाधिकारियों ने भाग लिया। मिटिंग में रखे गए एजेन्डा के बिन्दु अनुसार तथा परिवार कल्याण (FAMILY PLANNING INDEMNITY SCHEME) के अर्न्तगत फेलियर केसों के निपटान के बारे में विचार-विमर्श किया गया।

कमेटी के अधिकारी/पदाधिकारी :-

डा० प्रदीप शर्मा, सिविल सर्जन, ..... - चैयरपरसन।

1. डा० रेखा सिंह, उप-सिविल सर्जन(परिवार कल्याण), पलवल- नोडल अधिकारी।
2. डा० अजय माम, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, ना०ह० ..... - सदस्य।
3. डा० सीमा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ..... - सदस्य।
4. डा० प्रदीप मॉंगला, एनेस्थेटियस्ट, ना०ह० ..... - सदस्य।
5. डा० नवीन कुमार, सर्जन, ना०ह० ..... - सदस्य।
6. डा० इप्सा, महिला रोग विशेषज्ञ, ना०ह० ..... सदस्य।

उपस्थित अधिकारियों/पदाधिकारियों के हस्ताक्षर :-

क्रमांक	नाम	हस्ताक्षर
1.	डा० प्रदीप शर्मा, सिविल सर्जन, पलवल	
2.	डा० रेखा सिंह, उप-सिविल सर्जन(FW), पलवल	
3.	डा० Naveen Kumar, सर्जन, ना०ह०	
4.	Dr. SEEMA, स्त्री रोग विशेषज्ञ	 5/11/19
5.	डा० Pradeep Mangla, एनेस्थेटियस्ट, ना०ह०	
6.	डा० IPSHA ARORA, महिला, रोग विशेषज्ञ, ना०ह०	 05/11/19

# DISTRICT QUALITY ASSURANCE COMMITTEE

आज दिनांक 26/09/2019 को सिविल सर्जन कार्यालय में सिविल सर्जन महोदय, पलवल की अध्यक्षता में DISTRICT QUALITY ASSURANCE COMMITTEE (FAMILY PLANNING) की बैठक की कार्यवाही।

- Family Planning Insurance Scheme के तहत Sterilization Failure होने पर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक DHS(NCD/FWP/NTCP)-2018/237-58 दिनांक 23/04/2018 के अनुसार "it is to intimate you that Govt. Of Haryana has taken a decision after due consideration upon the DO no N11017/C/1/2-12FP(Pt.) datd 04-10-2016 issued by Sh. C.K. Mishra Secretary Department of Health & Family Welfare, MOHFW that the quantum of compensation fixed under the Family Planning Indemnity Scheme (FPIS) of Govt. Of India be doubled with the balance amount being paid from the State Health Budget of FY 2018-19 w.e.f. 01-04-2018." महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा पंचकुला के निर्देशानुसार परिवार नियोजन के Indemnity Scheme के तहत असफल केसों को अब 60,000/- रुपये की राशि दी जानी है जो कि राशि एन0एच0एम0 बजट द्वारा 30,000/- रुपये व स्टेट बजट द्वारा 30,000/- रुपये मुआवजा दिया जाना है।

1. पहला केस श्रीमति मंजु पत्नी श्री खेमकरण निवासी पातली जिला पलवल (Tubectomy Failure Case) द्वारा प्राप्त दस्तावेजों का DQAC(FW) कमेटी के सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरान्त सदस्यों द्वारा उक्त केस को Family Planning Insurance Scheme के तहत मुआवजा महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा पंचकुला के निर्देशानुसार परिवार नियोजन के Indemnity Scheme के तहत असफल केस को 60,000/- रुपये की राशि देने पर सहमति जताई। (As per Guideline) के तहत मुआवजा दे दिया जाए।
2. दूसरा केस श्रीमति पूनम पत्नी श्री सोमदत्त निवासी देवली जिला पलवल (Tubectomy Failure Case) द्वारा प्राप्त दस्तावेजों का DQAC(FW) कमेटी के सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरान्त सदस्यों द्वारा उक्त केस को Family Planning Insurance Scheme के तहत मुआवजा महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा पंचकुला के निर्देशानुसार परिवार नियोजन के Indemnity Scheme के तहत असफल केस को 60,000/- रुपये की राशि देने पर सहमति जताई। (As per Guideline) के तहत मुआवजा दे दिया जाए।
3. तीसरा केस श्रीमति डिम्पी पत्नी श्री हरवीर निवासी नगलीपंचाकी, ताहसील व जिला पलवल (Tubectomy Failure Case) द्वारा प्राप्त दस्तावेजों का DQAC(FW) कमेटी के सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरान्त सदस्यों द्वारा उक्त केस को Family Planning Insurance Scheme के तहत मुआवजा

## DISTRICT QUALITY ASSURANCE COMMITTEE

- महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा पंचकुला के निर्देशानुसार परिवार नियोजन के Indemnity Scheme के तहत असफल केस को 60,000/- रुपये की राशि देने पर सहमति जताई। (As per Guideline) के तहत मुआवजा दे दिया जाए।
4. चौथा केस श्रीमति लक्ष्मी पत्नी श्री सोनू निवासी निवासी गांव इस्लामाबाद, जिला पलवल (Tubectomy Failure Case) द्वारा प्राप्त दस्तावेजों का DQAC(FW) कमेटी के सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरान्त सदस्यों द्वारा उक्त केस को Family Planning Insurance Scheme के तहत मुआवजा महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा पंचकुला के निर्देशानुसार परिवार नियोजन के Indemnity Scheme के तहत असफल केस को 60,000/- रुपये की राशि देने पर सहमति जताई। (As per Guideline) के तहत मुआवजा दे दिया जाए।
  5. पाचवा केस श्रीमति सुशीला पत्नी श्री जोगिंदर निवासी राजागढ़ी उत्तर प्रदेश (Tubectomy Failure Case) द्वारा प्राप्त दस्तावेजों का DQAC(FW) कमेटी के सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरान्त सदस्यों द्वारा उक्त केस को Family Planning Insurance Scheme के तहत मुआवजा महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा पंचकुला के निर्देशानुसार परिवार नियोजन के Indemnity Scheme के तहत असफल केस को 60,000/- रुपये की राशि देने पर सहमति जताई। (As per Guideline) के तहत मुआवजा दे दिया जाए।
  6. छठा केस श्रीमति गीता पत्नी श्री विनोद निवासी गांव भंगुरी तहसील व जिला पलवल (Tubectomy Failure Case) द्वारा प्राप्त दस्तावेजों का DQAC(FW) कमेटी के सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरान्त सदस्यों द्वारा उक्त केस को Family Planning Insurance Scheme के तहत मुआवजा महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा पंचकुला के निर्देशानुसार परिवार नियोजन के Indemnity Scheme के तहत असफल केस को 60,000/- रुपये की राशि देने पर सहमति जताई। (As per Guideline) के तहत मुआवजा दे दिया जाए।
  7. सातवा केस श्रीमति नीतू पत्नी श्री मुकेश निवासी गांव मीशा, जिला पलवल, (Tubectomy Failure Case) द्वारा प्राप्त दस्तावेजों का DQAC(FW) कमेटी के सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरान्त सदस्यों द्वारा उक्त केस को Family Planning Insurance Scheme के तहत मुआवजा महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा पंचकुला के निर्देशानुसार परिवार नियोजन के Indemnity Scheme के तहत असफल केस को 60,000/- रुपये की राशि देने पर सहमति जताई। (As per Guideline) के तहत मुआवजा दे दिया जाए।
  8. आठवा केस श्रीमति अनीता पत्नी श्री राजेश गांव बामनीखेडा, तहसील व जिला पलवल (Tubectomy Failure Case) द्वारा प्राप्त दस्तावेजों का DQAC(FW) कमेटी के सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरान्त सदस्यों द्वारा उक्त केस को Family Planning Insurance Scheme के तहत मुआवजा महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा पंचकुला के निर्देशानुसार परिवार नियोजन के Indemnity


# DISTRICT QUALITY ASSURANCE COMMITTEE

Scheme के तहत असफल केस को 60,000/- रुपये की राशि देने पर सहमति जताई।  
(As per Guideline) के तहत मुआवजा दे दिया जाए।

9. नौवां केस श्रीमति पिकी पत्नी श्री नरेश गांव सिकन्दरपुर, तहसील व जिला पलवल  
(Tubectomy Failure Case) द्वारा प्राप्त दस्तावेजों का DQAC(FW) कमेटी के सदस्यों  
द्वारा अवलोकन किया गया। सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरान्त सदस्यों द्वारा  
उक्त केस को Family Planning Insurance Scheme के तहत मुआवजा महानिदेशक  
स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा पंचकुला के निर्देशानुसार परिवार नियोजन के Indemnity  
Scheme के तहत असफल केस को 60,000/- रुपये की राशि देने पर सहमति जताई।  
(As per Guideline) के तहत मुआवजा दे दिया जाए।

Family Planning indemnity Scheme के अन्तर्गत फेलियर केसों के निपटान के बारे  
में विस्तार चर्चा की गई। सभी केसों को निपटान के लिए DQAC(FW) कमेटी के सदस्यों  
द्वारा सहमति जताई।

सिविल सर्जन  
पलवल

  
84/11/2019  
सिविल सर्जन (FW)  
पलवल